

उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
परिपत्राक- सी- 05 / ग्रेच्युटी सेल एवं बीमा / 2018-19 दिनांक : 05.04.2018
समस्त शाखा प्रबन्धक
उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०,
प्र०का०, लखनऊ

अपर आयुक्त एवं अपर निबंधक सहकारिता उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक सी- 32 दिनांक 13.10.2017 के अनुसार मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन द्वारा समस्त वित्तीय लेन देन को डिजिटल माध्यम से किये जाने के निर्देश दिये गये हैं जिसके क्रम में बैंक से सेवानिवृत्त कार्मिकों को सेवानैवृत्तिक देयों का भुगतान RTGS / NEFT के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के क्रम में समस्त शाखा प्रबंधको को निर्देशित किया जाता है कि शाखा से सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों का, सेवानिवृत्त होने के एक माह पूर्व निम्न प्रारूप पर सूचना सेवानिवृत्त प्रकोष्ठ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

क्र०सं०	विवरण
1	कार्मिक का नाम
2	बैंक खाता संख्या
3	बैंक का नाम
4	आई एफ एस कोड(IFSC)
5	निरस्त चेक
6	बैंक पास बुक की स्वप्रमाणित छाया प्रति

उपरोक्त सूचना प्रेषित करना सम्बन्धित शाखा प्रबंधक का उत्तरदायित्व होगा इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।

ह० / -
(के०पी०सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. उप महाप्रबंधक (कम्प्यूटर) प्रधान कार्यालय, लखनऊ को इस आशय के साथ कि उक्त परिपत्र समस्त शाखाओं को ई मेल द्वारा प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
2. उप महाप्रबंधक (प्रशि०) उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, प्रशि० केन्द्र, लखनऊ।
3. प्रबन्धक श्रेणी-3(से०नि०प्रकोष्ठ) प्रधान कार्यालय लखनऊ को इस आशय के साथ कि समस्त सेवानिवृत्त कर्मियों की उक्त सूचना ग्रेच्युटी सेल एवं बीमा अनुभाग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी प्रधान कार्यालय उ०प्र० सहकारी ग्राम विकास बैंक लि०, लखनऊ।

ह० / -
महाप्रबन्धक (ग्रेच्युटी)